संख्या-14/2015/1106/49-1-2015-06(25)/15

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 22 जून,2015

विषय- गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये जाने की अर्हता पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-05/लेखा-अ दिनांक 06 अप्रैल,2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालूं वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऋण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5,65,14,00,000/- (रू0 पॉच अरब पैसठ करोड़ चौदह लाख मात्र) में से रू0 2,27,55,00,000/- (रू0 दो अरब सत्ताइस करोड़ पचपन लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

3- उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड के मध्य दिनांक 16-02-2015 को हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के अनुसार किया जायेगा।

4- प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार के अवशेष अंश को शीघ्रातिशीघ्र अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किये जाये।

5- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-6425-सहकारिता के लिये कर्ज-आयोजनेत्तर-800-अन्य कर्ज-05-अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऋण-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या-ई-2-यू0ओ0-546/दस-2015 दिनांक 19 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-14/2015/1106(1)/49-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, सहकारिता विभाग, लखनऊ।
7- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/बजट अनुभाग-2/सहकारिता विभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जनार्दन)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।